

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 159/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/245

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.कालूराम पुत्र करनाराम		1.धनाराम पुत्र निम्बाराम
2.मांगाराम पुत्र करनाराम		2.अणचीदेवी पत्नी पुनमाराम
3.सांवलाराम पुत्र करनाराम		3.जोगाराम पुत्र पुनमाराम
जाति-देवासी		4.बुदाराम पुत्र पुनमाराम
निवासी-भीमरलाई		5.मजनाराम पुत्र पुनमाराम
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		6.श्रवणराम पुत्र पुनमाराम
		7.आसूराम पुत्र हरजी
		8.ढेलीदेवी पत्नी रूपाराम
		9.देवाराम पुत्र रूपाराम
		10.नाथाराम पुत्र हरजीराम
		11.भेराराम पुत्र रूपाराम
		12.भीमाराम पुत्र मूलाराम
		13.रिडमलराम पुत्र हरजीराम
		14.सूजा पुत्र भारताराम
		निवासी भीमरलाई तहसील पचपदरा
		15.शाखा प्रबंधक एस.वी.आई.बैंक शाखा
		पचपदरा
		16.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
		पचपदरा



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थिति-

1. श्री जेटूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

## आदेश

दिनांक 20.06.2024

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 226 क्षेत्रफल 7.6000 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 226 क्षेत्रफल 7.6000 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 226 क्षेत्रफल 7.6000 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण

उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मनन करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 226 क्षेत्रफल 7.6000 हैक्टर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 226 क्षेत्रफल 7.6000 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि की रिकार्ड्ड खातेदार है और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसकी प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) शांतिपुरा

:-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.5.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने की हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 226 क्षेत्रफल 7.6000 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 20.6.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(राजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा